चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका सीता उर्फ प्रियंका देवी निवासी कर्वी ने अपने पति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज एवं मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी एवं आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव व उनकी पुलिस टीम द्वारा नाबालिक बालक से अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत एक निवासी द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि उनका नाबालिक पुत्र दिनाँक 15/16-08-2026 की रात्रि में काम करके रेलवे स्टेशन चित्रकूट के प्लेटफार्म नंबर 1 पर बने बेंच पर सो रहा था कि राजू सिंह उर्फ रज्जू निवासी बांदा काम दिलाने का लालच देकर अपने साथ जंगल ले जाकर डरा-धमकाकर जबरजस्ती गलत काम किया तथा किसी को न बताने की धमकी दिया । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 498/2026 धारा 140(4),351(3) बीएनएस 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम राजू सिंह उर्फ रज्जू पंजीकृत किया गया। पीड़ित का बयान अन्तर्गत धारा 183/180 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण कराया गया । आज दिनांक 18.08.2026 को अभियुक्त राजू सिंह उर्फ रज्जू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव

2.आरक्षी विवेक राजा

3.आरक्षी आदर्श राय

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.06.2026 को एक ग्राम वादिया द्वारा थाना बरगढ़ पर सूचना दी कि अभियुक्त शिवमंगल द्वारा वादिया की नातिन उम्र लगभग 05 वर्ष की हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर छेड़खानी करना । सूचना के आधार पर थाना बरगढ़ में मु0अ0स0 76/2026 धारा 74 बीएनएस व 9m/(10) पॉक्सो एक्ट बनाम शिवमंगल पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के मेडिकल, मा0 न्यायालय के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की धारा 74 बीएनएस व 9m/(10) पॉक्सो एक्ट का लोप करते हुये धारा 65(2) बीएनएस 5m/6/18 पॉक्सो एक्ट में की बढोत्तरी की गयी। दिनाँक 17.08.2026 को अपराध निरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विजय उर्फ शिवमंगल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्री चन्द्रमौल शर्मा

3.आरक्षी शिवम यादव

4.चालक मुख्य आरक्षी इबादउल्ला

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रीमती सृष्टि शुक्ला द्वारा आज दिनाँक 18.08.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 920/2009 धारा 323,324,325,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्ता माया देवी पत्नी कैलाशचन्द्र निवासी पश्चिमनाका कस्बा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)/एसीजेएम श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 18.06.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत एनसीआर न0 15/2017 धारा 171जी भादवि0 के आरोपी

अभियुक्त गुलाबचन्द्र पुत्र चमई निवासी तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 100/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।